न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. /2021

1 जीवणराम पुत्र स्व. लाखाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 29, कोठी के सामने दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

2 मॉगीलाल पुत्र स्व. तेजाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 29, कोठी के सामने दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज. वादीगण

बनाम

1 पुनाराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति मेघवाल निवासी दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

2 मोटाराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति मेघवाल निवासी दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

3 रूपा पुत्री स्व. तेजाराम पत्नी श्री हुलासाराम जाति मेघवाल निवासी गॉधी बस्ती, गोगा मेड़ी के पास सुजानगढ़ चूरू

4 झिना पुत्री स्व. तेजाराम पत्नी मॉगीलाल जाति मेघवाल निवासी गॉधी बस्ती, गोगा मेड़ी के पास सुजानगढ़ चूरू

5 हंसा देवी पुत्री स्व. लाखाराम पत्नि श्री शेराराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम जेतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

6 बिरजलाल पुत्र स्व. उदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूॅगरगढ़ बीकानेर

7 शंकरलाल पुत्र स्व. मंगतुराम जाति मेहतर निवासी वार्ड न. 40 सुजानगढ़ जिला चूरू

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू राज.

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955''

उपस्थित :–

1 वादीगण – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 7 श्री आमीन शेख
3 प्रतिवादी स. 7 – पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19 /08/2021

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही बैनाथा जोगलिया में खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 8.6249 हैक्टेयर (34–02बीघा) लाखाराम पुत्र जालुराम 1/2 हिस्सा व तेजाराम पुत्र सेजाराम पुत्र जालुराम 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का तथा रोही चक दड़ीबा में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 1.9602 हैक्टेयर (7–15 बीघा) तेजा पुत्र जालु जाति मेघवाल के नाम खातेदारी का तथा इसी रोही चक दड़ीबा में खेत खसरा नम्बर

लगातार....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

...1.0117 हैक्टेयर (4–00बीघा), खसरा नम्बर 66 रकबा 0.8600 हैक्टेयर (3–08बीघा), खसरा नम्बर ... रकबा 1.0370 हैक्टेयर (4–02 बीघा) तेजाराम पुत्र जालुराम हिस्सा 1/6, लाखाराम पुत्र जालुराम हिस्सा ...6 शंकरलाल पुत्र मंगतूराम हिस्सा 1/2 व सुन्दर देवी पुत्री जालू हिस्सा 1/6 के नाम खातेदारी का दर्ज चला आ रहा है। जिन्हे आगे वादगत सम्पति कहा गया है। उपरोक्त वर्णित वादगत खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण, प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। मुताबिक कुर्सीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 एक ता छः स्व. जालुराम के वारिस है। पूर्वज स्व जालुराम के दो पुत्र तेजाराम व लाखाराम हुए एवं एक मात्र पुत्री सुन्दर देवी हुई तेजाराम, लाखाराम व सुन्दरदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। तेजाराम के श्रीमती धापू (पत्नी फौत) मॉगीलाल, पुनाराम, मोटाराम, रूपा, झिंना तथा लाखाराम के जीवणराम व हंसादेवी तथा सुन्दर देवी के प्रतिवादी स. 6 छः विरज लाल हुए। उपरोक्त विवादित खसरों की भूमि में प्रतिवादी सख्या 3 ता 6 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी सख्या 3 ता 5 विवाहित होकर जुबानी तौर पर अपना हिस्सा सामाजिक रिति रिवाज अनुसार परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी स.0 6 की माता एवं प्रतिवादी स्वयं 6 का कभी कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नहीं रहा है उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा आपस में जुबानी तौर पर विभाजन करके अलग अलग खसरों पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित खेत खसरों में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 1.9602 हैक्टेयर (7–15बीघा) सम्पूर्ण प्रतिवादी सख्या 2 मोटाराम के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 8.6249 हैक्टेयर (34–02बीघा) बासी वाला में से दिखणादी पाखी की 17–18 बीघा वादी स. 1 जीवणराम के कब्जा काश्त में, उतरी पाखी की 16–04 बीघा में से आथुणी पाखी की 09–09 बीघा वादी 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में, अगूणी पाखी की 09–09 बीघा प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 57 में से आथुणी पाखी की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 2–00 बीघा भूमि प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल के कब्जा काश्त में, अगूणी पाखी की बाकी 2–00 बीघा वादी स. 1 जीवणराम के कब्जा काश्त में व खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 3–08 बीघा में से दिखणादी पाखी की 1–14 बीघा प्रतिवादी स. 7 के कब्जा काश्त में व उतरादी पाखी की 1–14 बीघा में से उतरी तरफ की 0–17 बिश्वा वादी स. 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में व दिखणादी तरफ की 0–17 बिश्वा प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के कब्जा काश्त में है इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 4–02 बीघा में से आथुणी पाखी की 02–01 बीघा प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल के कब्जा काश्त में व पूर्वी तरफ की 2–01 बीघा में से दिखणादी पाखी की 1–01 बीघा प्रतिवादी स. 2 मोटाराम के कब्जा काश्त में व उत्तरी तरफ की बाकी 1–00 बीघा में से 0–10 बिश्वा उत्तरी तरफ की प्रतिवादी स. 1 पुनाराम में कब्जा काश्त में व प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के दक्षिणी तरफ की चिपती 0–10 बिश्वा भूमि वादी स. 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिनकी अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार पुख्ता सीवें कायम की हुई है, बारहमासी ढाणीयों के रूप में निवास कर रहे है। विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादी स 1 व 2 का हिस्सा पांती राजस्व रेकार्ड में कब्जा काश्त अनुसार नहीं होकर गलत दर्ज चला आ रहा है। विवादित खसराजात की भूमि सम्पति में प्रतिवादी सख्या 3 ता 6 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। राजस्व कर्मचारीयों की भूलवंश राजस्व रेकार्ड में नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त करवाने का वैधानिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। जमीनो के बाजार भाव बढने के कारण प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है और प्रतिवादीगण वादगत खेतों में कब्जा काश्त से अधिक गलत खातेदारी के आधार पर दर्ज के आधार पर भूमि को हस्तान्तरित करने की कुचेष्ठा में है। जिसका प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त नहीं होने के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा वादी स. 2 मॉगीलाल के पिता तेजाराम का नाम राजस्व रेकार्ड खसरा नम्बर 28 मे तेजाराम की बजाय सेजाराम गलत दर्ज है एवं प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल की जाति मेहतर की बजाय मेघवाल दर्ज है जिसको वादीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा लेने का निवेदन किया तो काफी समय तक उक्त प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। अन्त मे दिनांक 10/7/2021 को प्रतिवादीगण ने वादगत खसराजात की भूमि के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया और दिनांक 10/7/2021 को

लगातार...3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

...की वादगत खसराजात में भले की हमारा कब्जा अधिकारी नहीं हो फिर में राजस्व रेकार्ड ...गलत खातेदारी के आधार पर तुम्हारे कब्जा काश्त की भूमि को बैंक के रहन रख देंगे या भू...यों को बेच देंगे आदि आदि ऐलानिया धमकीया दी। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोगो से साठगांठ ...वाले बलशाली व्यक्ति है तथा किसी भी वक्त वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को गलत खातेदारी ...आड में विकय हस्तान्तरित कर सकते है तथा वादीगण को बेदखल कर सकते है इस कारण मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जो नोटिस से छूट लेकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया की घोषित किया जावें कि रोही बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 8.6249 हैक्टेयर (34–02बीघा) लाखाराम पुत्र जालुराम 1/2 हिस्सा व तेजाराम पुत्र सेजाराम पुत्र जालुराम 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का तथा रोही चक दड़ीबा में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 1.9602 हैक्टेयर (7–15 बीघा) तेजा पुत्र जालु जाति मेघवाल के नाम खातेदारी का तथा इसी रोही चक दड़ीबा में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 1.0117 हैक्टेयर (4–00बीघा), खसरा नम्बर 66 रकबा 0.8600 हैक्टेयर (3–08बीघा), खसरा नम्बर 80 रकबा 1.0370 हैक्टेयर (4–02 बीघा) तेजाराम पुत्र जालुरान हिस्सा 1/6 लाखाराम पुत्र जालुराम हिस्सा 1/6 शंकरलाल पुत्र मंगतूराम हिस्सा 1/2 व सुन्दर देवी पुत्री जालू हिस्सा 1/6 में प्रतिवादी स. 3 ता 6 का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी सख्या 3 ता 5 का नाम विवादित खसराजात से हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी स. 2 व प्रतिवादी स. 1, 2 के पिता का नाम सेजाराम की बजाय तेजाराम व प्रतिवादी स. 7 सात की जाति मेघवाल की बजाय मेहतर शुद्ध दर्ज की जाये एवं विवादित खसराजात की भूमि खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 1.9602 हैक्टेयर (7–15बीघा) सम्पूर्ण प्रतिवादी सख्या 2 मोटाराम के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 8.6249 हैक्टेयर (34–02बीघा) बासी वाला में से दिखणादी पाखी की 17–18 बीघा वादी स. 1 जीवणराम के कब्जा काश्त में, उतरी पाखी की 16–04 बीघा में से आथुणी पाखी की 09–09 बीघा वादी 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में, अगूणी पाखी की 09–09 बीघा प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 57 में से आथुणी पाखी की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 2–00 बीघा भूमि प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल के कब्जा काश्त में, अगूणी पाखी की बाकी 2–00 बीघा वादी स. 1 जीवणराम के कब्जा काश्त में व खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 3–08 बीघा में से दिखणादी पाखी की 1–14 बीघा प्रतिवादी स. 7 के कब्जा काश्त में व उतरादी पाखी की 1–14 बीघा में से उतरी तरफ की 0–17 बिश्वा वादी स. 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में व दिखणादी तरफ की 0–17 बिश्वा प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के कब्जा काश्त में है इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 4–02 बीघा में से आथुणी पाखी की 02–01 बीघा एक बिश्वा प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल के कब्जा काश्त में व पूर्वी तरफ की 2–01 बीघा में से दिखणादी पाखी की 1–01 बीघा प्रतिवादी स. 2 मोटाराम के कब्जा काश्त में व उतरी तरफ की बाकी 1–00 बीघा में से 0–10 बिश्वा उतरी तरफ की प्रतिवादी स. 1 पुनाराम में कब्जा काश्त में व प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के दक्षिणी तरफ की चिपती 0–10 बिश्वा भूमि वादी स. 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जायें आदि आदि निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स. 1 ता 7 की और से श्री मो. आमीन षेख ने वकालतनामा मय नोटेरी से तस्दीक षुदा राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 7 राजस्थान सरकार तहसीलदार बीदासर ने पत्रावली में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया है। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 मॉगीलाल एवं साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी स. 1 ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये गये। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2076–2079 खेत खाता न. 84, जमाबन्दी संवत 2076–2079 खाता नम्बर 81 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2076–2079 खाता नम्बर 224 प्रदर्श–3 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने पूर्वजो के वक्त से कब्जा काश्त एवं बाहमी बन्टवारा अनुसार खातेदारी घोषणा करने का निवेदन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राजीनामा एवं साक्ष्य वादी, साक्ष्य प्रतिवादी का भलीभांती ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राजीनामा अनुसार वादगत खेतो की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 3 ता 6 का वादगत खसराजात में कोई हित कब्जा या अधिकार नहीं रहा है जिसका स्पष्ट अंकन वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सशपथ बयानो में किया गया है। वादी का वाद बाबत घोषणात्मक रेकार्ड दुरुस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार....4 पर

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः रोही बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 8.6249 हैक्टेयर (34–02बीघा) तथा रोही चक दडीबा में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 1.9602 हैक्टेयर (7–15 बीघा) तथा रोही चक दडीबा में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 1.0117 हैक्टेयर (4–00बीघा), खसरा नम्बर 66 रकबा 0.8600 हैक्टेयर (3–08बीघा), खसरा नम्बर 80 रकबा 1.0370 हैक्टेयर (4–02 बीघा) में प्रतिवादी सख्या 3 ता 6 का नाम विवादित खसराजात से हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी स. 2 व प्रतिवादी स. 1, 2 के पिता का नाम सेजाराम की बजाय तेजाराम व प्रतिवादी स. 7 की जाति मेघवाल की बजाय मेहतर शुद्ध दर्ज की जाती है एवं मुताबिक बाहमी बन्टवारा एवं मुताबिक राजीनामा के विवादित खसराजात की भूमि खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 1.9602 हैक्टेयर (7–15बीघा) सम्पूर्ण प्रतिवादी सख्या 2 मोटाराम के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 8.6249 हैक्टेयर (34–02बीघा) बारानी वाला में से दिखणादी पाखी की 17–18 बीघा वादी स. 1 जीवणराम के कब्जा काश्त में, उतरी पाखी की 16–04 बीघा में से आथुणी पाखी की 09–09 बीघा वादी 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में, अगूणी पाखी की 09–09 बीघा प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नम्बर 57 में से आथुणी पाखी की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 2–00 बीघा भूमि प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल के कब्जा काश्त में, अगूणी पाखी की बाकी 2–00 बीघा वादी स. 1 जीवणराम के कब्जा काश्त में व खेत खसरा नम्बर 66 रकबा 3–08 बीघा में से दिखणादी पाखी की 1–14 बीघा प्रतिवादी स. 7 के कब्जा काश्त में व उतरादी पाखी की 1–14 बीघा में से उतरी तरफ की 0–17 बिश्वा वादी स. 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त में व दिखणादी तरफ की 0–17 बिश्वा प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के कब्जा काश्त में है इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 4–02 बीघा में से आथुणी पाखी की 02–01 बीघा एक बिश्वा प्रतिवादी स. 7 शंकरलाल के कब्जा काश्त में व पूर्वी तरफ की 2–01 बीघा में से दिखणादी पाखी की 1–01 बीघा प्रतिवादी स. 2 मोटाराम के कब्जा काश्त में व उतरी तरफ की बाकी 1–00 बीघा में से 0–10 बिश्वा उतरी तरफ की प्रतिवादी स. 1 पुनाराम में कब्जा काश्त में व प्रतिवादी स. 1 पुनाराम के दक्षिणी तरफ की चिपती 0–10 बिश्वा भूमि वादी स. 2 मॉगीलाल के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें। उपरोक्तानुसार नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने बावत तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी की जावे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13 -8 - 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

Scanned with CamScanner